रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216529
CG-DL-E-03032020-216529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/ फाल्गुन 12, 1941
No. 61]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

मामला सं. ओआई (सीवीडी)- 10/2019

विषय: टर्की के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के संबंध में प्रतिकारी शुल्क / आर्थिक सहायता रोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 6/38/2019-डीजीटीआर.—मै. डी सी डब्ल्यू लि., मै. आर एस पी एल लि० और मै० जी एच सी एल लि० (जिसे यहां ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण और क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां ''नियमावली'' भी कहा गया है) के अनुसरण में, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष, टर्की (जिसे यहां ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''सोडा एश'' (जिसे यहां ''संबद्ध वस्तु'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रतिकारी शुल्क की मूल जांच के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं के आयातों पर प्रतिकारी शुल्क लागू करने के लिए अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद रासायनिक फॉरमूले Na_2CO_3 सहित सार्वजनिक रूप से "सोडा एश" के रूप में ज्ञात डिसोडियम कार्बोनेट है।

4. सोडा एश एक श्वेत, क्रिस्टलीय, जल में घुलनशील सामग्री है। भारतीय उत्पादकों द्वारा सोडा एश दो रूपों में उत्पादित किया जाता है – लाइट सोडा एश और डेंस (सघन सोडा एश) । दोनों प्रकारों में अंतर थोक घनत्व का है। इसके अतिरिक्त, सोडा एश या तो प्राकृतिक सोडा एश हो सकता है अथवा सिंथेटिक सोडा एश हो सकता है, दोनों ही उत्पाद तत्वत: समान हैं। वर्तमान जांच में सोडा एश के सभी प्रकार शामिल हैं।

5. सोडा एश डिटरजेंट, साबुन, सफाई यौगिकों, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष चश्मों, सिलिकेट्स और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली एक विशेष सामग्री है। इसका वस्त्र निर्माण, कागज, धातु उद्योगों और अल्पवर्गीकरण संयंत्रों में भी व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उप शीर्ष 2836.20 के तहत, अधिनियम के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो सब्सिडी प्राप्त हैं और भारत को निर्यात की जाती हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के सदृश हैं। इनमें न तो तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता, कार्यों और न ही सब्सिडी प्राप्त आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा आवेदकों द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पादों के अंतिम प्रयोगों के रूप में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और व्यापारिक रूप से प्रति स्थापनीय हैं और इसलिए इन्हें नियमावली के अंतर्गत 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

8. आवेदन मै० डी सी डब्ल्यू लि०, मै० आर एस पी एल लि० और मै० जी एच सी एल लि० द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पी यू सी के किसी आयातक से संबंधित हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग के रूप में विचारित किया है और वे नियमावली के नियम 6(3) की शर्तों को पूरा करने के मापदंड को भी संतुष्ट करते हैं।

कथित सब्सिडी प्राप्त करने का आधार

9. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक/निर्यातकों ने संबद्ध देश की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न कार्रवाई योग्य आर्थिक सहायताओं से लाभ प्राप्त किया है। आवेदकों ने विभिन्न अधिसूचित योजनाओं/ कार्यक्रमों की एक सूची उपलब्ध कराई है जो टर्की की सरकार द्वारा कार्रवाई योग्य सब्सिडीज उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है । इन योजनाओं पर प्रतिकारी योग्य होने का आरोप लगाया गया है क्योंकि उनमें सरकार से वित्तीय अंशदान या आय अथवा कीमत समर्थन शामिल है और ये लाभ प्रदान करते हैं। ये या तो निर्यात पर आश्रित हैं अथवा इन्हें निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य की आवश्यकता है या पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर इनपुट का उपयोग करने के द्वारा कुछ विशिष्ट उत्पादों में उत्पादन को लाभ पहुंचाते हैं अथवा आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं और संगत नियमावली के अर्थों के भीतर प्रतिवाद के योग्य हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडीज / कार्यक्रमों का आरोप लगाया गया है।

i. **कर प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम**

कार्यक्रम सं. 1: आर आई एस के अंतर्गत क्रय किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरणों पर वैट छूट ।

कार्यक्रम सं. 2: आर आई एस के तहत विदेश से सप्लाई किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरणों के लिए सीमा शुल्क छूट ।

कार्यक्रम सं. 3: आर आई एस के अंतर्गत निगमित कर कटौती ।

कार्यक्रम सं. 4: आवक प्रसंस्करण प्रमाणपत्र छूट / शुल्क समाप्ति ।

कार्यक्रम सं. 5: अनुसंधान और विकास के रूप में कर प्रोत्साहन

कार्यक्रम सं. 6: कोयले से बिजली का उत्पादन करने के लिए पी आई एस के तहत क्रय किए जाने वाले मशीनरी और उपकरणों पर वैट छूट ।

कार्यक्रम सं. 7: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत क्रय किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरण पर वैट छूट ।

कार्यक्रम सं. 8: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए किए गए निवेशों के लिए पी आई एस के तहत क्रय किए जाने वाले मशीनरी और उपकरणों पर वैट छूट ।

कार्यक्रम सं. 9: कोयले से बिजली का उत्पादन करने के लिए पी आई एस के तहत विदेश से सप्लाई किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरणों के लिए सीमा शुल्क छूट।

कार्यक्रम सं. 10: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत विदेश से सप्लाई किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरणों के लिए सीमा शुल्क छूट ।

कार्यक्रम सं. 11: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए किए गए निवेशों के लिए पी आई एस के तहत क्रय किए जाने के लिए मशीनरी और उपकरण पर सीमाशुल्क।

कार्यक्रम सं. 12: कोयले से बिजली का उत्पादन करने के लिए पी आई एस के तहत निगमित कर कटौती।

कार्यक्रम सं. 13: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत निगमित कर कटौती ।

कार्यक्रम सं. 14: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए पी आई एस के तहत निगमित कटौती ।

ii. **<u>सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम में समर्थन और ब्याज दर में कमी के रूप में कार्यक्रम</u>**

कार्यक्रम सं. 15: आर आई एस के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम में नियोक्ता के हिस्से की सरकारी कवरेज ।

कार्यक्रम सं. 16: आर आई एस के तहत सरकार से बैंक ब्याज दर समर्थन ।

कार्यक्रम सं. 17: कानून 6486 के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम प्रोत्साहन ।

कार्यक्रम सं. 18: कोयले से बिजली उत्पादन करने के लिए किए गए निवेशों को पी आई एस के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम के नियोक्ता के हिस्से की सरकारी कवरेज।

कार्यक्रम सं. 19: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम के नियोक्ता के हिस्से की सरकारी कवरेज ।

कार्यक्रम सं. 20: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए किए गए निवेशों की पी आई एस के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम के नियोक्ता के भाग की सरकारी कवरेज।

कार्यक्रम सं. 21: कोयले से बिजली के उत्पादन के लिए पी आई एस के तहत सरकारी द्वारा ऋण पर बैंक ब्याज दर समर्थन ।

कार्यक्रम सं. 22: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत सरकार से बैंक ब्याज दर समर्थन ।

कार्यक्रम सं. 23: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए किए गए निवेशों की पी आई एस के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रीमियम के नियोक्ता के भाग की सरकारी कवरेज ।

iii. **निर्यात वित्त पोषण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम**

कार्यक्रम सं. 24: निर्यात राजस्व के लिए कर योग्य आय से कटौती ।

कार्यक्रम सं. 25: निर्यात वित्त पोषण- पुन: छूट कार्यक्रम (अल्पावधिक लदान –पूर्व पुन: छूट कार्यक्रम/निर्यात वित्तपोषण-निर्यात पूर्व ऋण कार्यक्रम / अधिमान्य ऋण और बीमा प्रीमियम समर्थन ।

कार्यक्रम सं. 26: निर्यातोन्मुखी कार्यशील पूंजी ऋण कार्यक्रम

iv. **पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम**

कार्यक्रम सं. 27: कोयले से बिजली उत्पादन के लिए किए गए निवेशों के लिए पी आई एस के तहत निवेश हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन ।

कार्यक्रम सं. 28: खनन निवेशों के लिए पी आई एस के तहत निवेश हेतु नि:शुल्क भूमि आवंटन ।

कार्यक्रम सं. 29: खनन लाइसेंस और प्रमाणपत्र धारक निवेशकों के लिए अनुमत क्षेत्रों में खानों के अन्वेषण के लिए किए गए निवेशों की पी आई एस के तहत निवेशों के लिए निशुल्क भूमि आबंटन ।

कार्यक्रम सं. 30: आर आई एस के तहत निवेश के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन ।

कार्यक्रम सं. 31: खनन कानून के तहत ट्रोना के लिए गारंटी जमा में कटौती ।

कार्यक्रम सं. 32: खनन कानून के तहत ट्रोना के लिए कम रायल्टी दर ।

कार्यक्रम सं. 33: खनन कानून के तहत, टर्की में संसाधित ट्रोना अयस्क के लिए रायल्टी दर में अतिरिक्त कमी ।

कार्यक्रम सं. 34: खनन कानून के तहत ट्रोना के लिए रायल्टी पर अतिरिक्त छूट ।

कार्यक्रम सं. 35: खनन कानून के तहत लिग्नाइट और एस्फालटाइट के लिए गारंटी जमा में कटौती ।

कार्यक्रम सं. 36: खनन कानून के तहत लिग्नाइट और एस्फालटाइट के लिए घटी हुई रायल्टी दर ।

कार्यक्रम सं. 37: खनन कानून के तहत, टर्की में संसाधित लिग्नाइट और एस्फालटाइट अयस्क के लिए रायल्टी दर में अतिरिक्त कटौती ।

10. निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य सब्सिडीज की जांच करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं,जो विद्यमानता हो सकती है और जिन्हें जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्राप्त किया गया है ।

परामर्श

11. दिनांक 11 फरवरी, 2020 को टर्की की सरकार के साथ डब्ल्यू टी ओ उपबंधों के अनुदेश 13.1 के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक जांच शुरूआत पूर्व परामर्श आयोजित किया गया । इस परामर्श के उत्तर में टर्की की सरकार ने कुछ विशेष कार्यक्रमों की विद्यमानता, उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कुछ का लाभ न उठाए जाने, कुछ स्कीमों में नगण्य निवल प्रतिकारिता योग्य सब्सिडी से इंकार किया और इसके अतिरिक्त, यदि भारत सब्सिडी-रोधी जांच आयोजित करने का निर्णय करता है तो वह किसी उपाय को लागू करने से पूर्व सब्सिडी और प्रतिकारिता उपायों पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 27.10 को ध्यान में रखना चाहिए । हालाँकि, तुर्की सरकार ने इसके प्रस्तुतिकरण के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। इसलिए, जांच के दौरान कथित कार्यक्रमों के अस्तित्व और उनके विश्लेषण की प्रासंगिक नियमों के अनुसार जांच की आवश्यकता है ।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने कथित सब्सिडीकरण के कारण हो रही क्षति और परिणामस्वरूप कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में सब्सिडी प्राप्त आयातों की बढ़ी हुई मात्रा तथा घरेलू उद्योग पर उनके कीमत ह्रास प्रभावों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के परिणामस्वरूप, उत्पादन, बिक्रियों के संबंध में उनके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और परिणामस्वरूप लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह में गिरावट आई है तथा उनके पास महत्वपूर्ण क्षति के और संबद्ध देश से सब्सिडी प्राप्त निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही महत्वपूर्ण क्षति के लिए एक प्रतिकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरूआत को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं।

प्रतिकारी शुल्क जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से भलीभांति प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर एवं घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के प्रमाणित सब्सिडी प्राप्त करने, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसी कथित सब्सिडी और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, और नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसरण में, स्वयं के संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी, एतद द्वारा संबद्ध देश की मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित सब्सिडीज की विद्यमानता, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिकारी शुल्क की मात्रा की सिफारिश करने जो यदि लगाई जाती तो, घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होती, एक जांच की शुरुआत करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबंद्ध देश टर्की है।

जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि (जिसे यहां ''पी ओ आई'' भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2019 (6 महीने है) प्राधिकारी ने आवेदक से सबसे हल्के आंकड़ों पर विश्लेषण करने के लिए और 3 महीनें की अवधि (01.10.2019 से 31.12.2019) के लिए अद्यतित आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था। घरेलू उद्योग ने 8 महीनें अर्थात अप्रैल, 2019 से नवंबर, 2019 की अवधि के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए जिनका सब्सिडी प्राप्त और क्षति की जांच के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि, वर्तमान जांच में जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 होगी। क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 और पी ओ आई शामिल होगी। क्षति के खतरे के लिए पी ओ आई के बाद के आंकड़ों की भी जांच की जाएगी।

प्रक्रिया

16. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 7 में यथानिर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा ।

सूचना प्रस्तुत करना

17. बद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, संबद्ध वस्तुओं के साथ संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग-अलग रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सारी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।

18. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र और तरीके में जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकते हैं।

19. सूचना/अनुरोध इस पते पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

20. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अनुरोध है कि वह अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें।

समय-सीमा

21. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में दी जानी चाहिए ताकि वह नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी को पहुँच जाए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त नियमावली की व्याख्या के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाए जाने संबंधी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी जिसको वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजी गई थी अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधि को भेजी गई थी। यदि कोई सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है

अथवा सूचना अपूर्ण प्राप्त होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हितों की प्रकृति सहित) सूचित करें और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।

<u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (परिशिष्ट/उससे संलग्न अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को, यदि उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में दायर करना अपेक्षित है:

i. गोपनीय के रूप में चिन्हित एक सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि), और

ii. अगोपनीय के रूप में चिन्हित दूसरा सेट (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, सूची आदि)।

24. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप मे स्पष्ट रूप से चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार के चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों रूपांतरों की सॉफ्ट प्रतियां भी प्रत्येक के चार (4) सेटों की हार्ड प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होंगी।

25. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना होगी जो प्रकृति से गोपनीय और/अथवा अन्य सूचना है जिसको सूचना देने वाला गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के संबंध में अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के संबंध में सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ सही कारण का विवरण प्रदान करें कि उस सूचना का प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।

26. अगोपनीय रूपांतर को गोपनीय सूचना के साथ अधिमानतः उस सूचना के आधार पर सूचीबद्ध अथवा ब्लैंक आउट (यदि सूचीकरण व्यवहार्य नहीं है) तथा सारांश का प्रदर्श होना अपेक्षित है जिसके आधार पर गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार की उपयुक्त समझ देने के लिए पर्याप्त ब्यौरे में होने चाहिए। तथापि, अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह दर्शा सकते हैं कि यह सूचना सारांश के लिए संवेदनशील नहीं है; सारांश क्यों संभव नहीं है, इसका एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप दिया जाना चाहिए।

27. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा रद्द कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं अथवा यदि सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अनिच्छुक है अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में उसे प्रकट करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता तो वे उसकी अनदेखी कर सकते हैं।

28. किसी सार्थक अगोपनीय रुपांतर के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में अच्छे कारण के विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्राधिकारी संतुष्ट होने पर तथा दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करने पर उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसे प्रकट नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

30. नियमावली के नियम 7(7) की शर्तों के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रुपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

<u>असहयोग</u>

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी अवधि के भीतर अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करा सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जैसा वे उचित समझते हैं ।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2020

Case No. OI (CVD) - 10/2019

Subject : Initiation of Countervailing Duty/Anti-Subsidy Investigation concerning imports of Soda Ash originating in or exported from Turkey.

F. No. 6/38/2019-DGTR.—M/s. DCW Limited, M/s. RSPL Limited and M/s GHCL Limited (hereinafter also referred to as "Applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for Original Investigation of Countervailing Duty concerning imports of "Soda Ash" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from Turkey (hereinafter also referred to as the "subject country").

2. The Applicants have alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to subsidised imports from the subject country and have requested for imposition of Countervailing duty on imports of subsidised subject goods, originating in or exported from the subject country.

Product under consideration

3. The product under consideration is Disodium Carbonate, popularly known as "Soda Ash", having chemical formula Na_2CO_3.

4. Soda Ash is a white, crystalline, water-soluble material. Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, Soda Ash can be either natural soda ash or synthetic soda ash, both products are essentially the same. Present investigation covers all forms of Soda Ash.

5. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

6. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Act under customs sub-heading 2836.20. However, the customs classification is indicative only and is not binding on the scope of this investigation.

Like Article

7. The Applicants have claimed that the subject goods, which are subsidised and exported to India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subsidised imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry

8. The application has been filed by M/s DCW Limited, M/s RSPL Limited and M/s GHCL Limited. The Applicants have neither imported the subject goods from the subject country nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. On the basis of information available, the Authority has considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and also satisfying the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

Basis of Alleged Subsidisation

9. The Applicants have alleged that producer/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from various actionable subsidies provided by the Government of the subject country. The Applicants have provided a list of various notified schemes/programmes which provide actionable subsidies by the Government of Turkey as available on their website. These schemes have been alleged to be countervailable as they involve financial contribution or income or price support from the Governments and

confer a benefit. These are either contingent upon export or require minimum value for export, or benefit production in some specific products by leading to access to inputs at less than adequate remuneration, or encourage use of domestic goods over imported goods, and countervailable within the meaning of the relevant Rules.

The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

i. **Programs in the form of Tax Incentives**

Program No. 1: VAT Exemption on machinery and equipment to be purchased under RIS

Program No. 2: Customs duty exemption for machinery and equipment to be supplied from abroad under RIS

Program No. 3: Corporate Tax Deduction under RIS

Program No. 4: Inward Processing Certificate Exemption/Duty Drawback

Program No. 5: Tax Incentives in form of Research and development

Program No. 6: VAT Exemption on machinery and equipment to be purchased under PIS to generate electricity from coal

Program No. 7: VAT Exemption on machinery and equipment to be purchased under PIS to Mining Investments

Program No. 8: VAT Exemption on machinery and equipment to be purchased under PIS to Investments made to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

Program No. 9: Customs duty exemption for machinery and equipment to be supplied from abroad under PIS to generate electricity from coal

Program No. 10: Customs duty exemption for machinery and equipment to be supplied from abroad under PIS to Mining Investments

Program No. 11: Customs duty exemption for machinery and equipment to be supplied from abroad under PIS to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

Program No. 12: Corporate Tax Deduction under PIS to generate electricity from coal

Program No. 13: Corporate Tax Deduction under PIS to Mining Investments

Program No. 14: Corporate Tax Deduction under PIS to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

ii. **Programs in the form of Support in Social Security Premium and Reduction in Interest Rate**

Program No. 15: Government coverage of Employer's share of social security premium under RIS

Program No. 16: Bank Interest Rate support from the Government under RIS

Program No. 17: Social Security Premium Incentive Under Law 6486

Program No. 18: Government coverage of Employer's share of social security premium under PIS to investments made to generate electricity from coal

Program No. 19: Government coverage of Employer's share of social security premium under PIS to Mining Investments

Program No. 20: Government coverage of Employer's share of social security premium under PIS to Investments made to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

Program No. 21: Bank Interest Rate support on loan by the Government under PIS to generate electricity from coal

Program No. 22: Bank Interest Rate support from the Government under PIS to Mining Investments

Program No. 23: Interest Rate support from the Government under PIS to Investments made to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

iii. **Programs in form of Export Financing and Export Credit**

Program No. 24: Deductions from Taxable Income for Export Revenue

Program No. 25: Export Financing-Rediscount Program (Short-term Pre-Shipment Rediscount Program)/Export Financing-Pre-Export Credit Program/Preferential Loans and insurance premium support

Program No. 26: Export Oriented Working Capital Credit Program

iv. Programs in the form of Provision of Goods and Services at Less than adequate Remuneration

Program No. 27: Free Land Allocation for Investment under PIS to investments made to generate electricity from coal

Program No. 28: Free Land Allocation for Investment under PIS to Mining Investments

Program No. 29: Free Land Allocation for Investment under PIS to Investments made to explore mines in permitted fields for Investors holding Mining License and Certificate

Program No. 30: Free Land Allocation for Investment under RIS

Program No. 31: Deduction in guarantee deposit for Trona under Mining Law

Program No. 32: Reduced Royalty Rate for Trona under Mining Law

Program No. 33: Additional deduction in royalty rate for Trona ores processed in Turkey, under Mining Law

Program No. 34: Additional Discount on royalty for Trona under Mining Law

Program No. 35: Deduction in guarantee deposit for Lignite and Asphaltite under Mining Law

Program No. 36: Reduced Royalty Rate for Lignite and Asphaltite under Mining Law

Program No. 37: Additional deduction in royalty rate for Lignite and Asphaltite ores Processed in Turkey, under Mining Law.

10. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods in the subject country.

Consultation

11. A pre-initiation consultation as per the Article 13.1 of the WTO provisions was held with the Government of Turkey through video conferencing on 11th February, 2020. In response to this consultation, Government of Turkey denied existence of certain programs, non-availment of some by producers/exporters, negligible net countervailable subsidy in some schemes and stated further, that in the event India decides to conduct the Anti-subsidy investigation, it should take note of the Article 27.10 of the WTO agreement on subsidy and countervailing measures, before application of a measure. However, the Government of Turkey has not provided any evidence in support of its submissions. Hence, the existence of alleged programmes and quantification of all the countervailable subsidies are required to be analysed through an investigation as per the relevant Rules.

Injury and Causal link

12. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged subsidisation and resulting in increased volume of subsidised imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of production, sales and consequent decline in profits, return on capital employed and cash flow, as a result of subsidised exports from subject country and there is sufficient prima facie evidence of the material injury and threat of material injury being caused to the domestic industry by subsidised exports from the subject country to justify initiation of an countervailing duty investigation.

Initiation of Countervailing Duty Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidisation of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidisation and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidies in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of Countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Country

14. The subject country in the present investigation is Turkey.

Period of Investigation

15. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as "POI") proposed by the Domestic Industry in the present investigation is 01st April, 2019 to 30th September, 2019 (6 months). The Authority requested the Applicants to file updated data for a further period of 3 months (01.10.2019 to 31.12.2019) to undertake analysis on the most recent data. The Domestic Industry filed data for the period of 8 months i.e. April, 2019 – November, 2019 which has been used for alleged subsidisation and injury examination. However, Period of Investigation in the present investigation will be 1st April 2019 - 31st December 2019. The injury investigation period will cover the periods April 2016 - March 2017, April 2017- March 2018, April 2018 - March 2019 and the POI. For threat of injury, the data beyond the POI would also be examined.

Procedure

16. Principles as given in Rule 7 of the Rules shall be followed for the present investigation.

Submission of information

17. The exporters in the subject country and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

19. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority

Directorate General of Trade Remedies

Ministry of Commerce & Industry

Department of Commerce

Government of India

4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street

New Delhi-110001

20. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

22. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and

ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

24. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

30. In terms of Rule 7(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.03 23:04:17 +05'30'